न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3095–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–06–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला खण्डवा के प्रकरण कमांक 1/अ–13/09–10

.....

महावीर प्रसाद पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद
निवासी माता चौक खण्डवा म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री चान्दमल जैन
निवासी बजरंग चौक खण्डवा म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक
श्री संतोष वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक महावीर प्रसाद द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 425/1 रकवा 1.88 हेक्टर में जाने वाले रास्ते को अनावेदक द्वारा रोके जाने से रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया गया। जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया । अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र

सी.पी.सी. की धारा 151 सहपठित संहिता की धारा 32 एवं 43 का प्रस्तुत किया, जिसमें वादग्रस्त भूमि एवं उसके आसपास की भूमियों में बंदोबस्त त्रुटि को दृष्टिगत रखते हुये संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित होने का उल्लेख करते हुये न्यायहित में रास्ते संबंधी प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करने का निवेदन किया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–13 से अनावेदक का आवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण संहिता की धारा 89 के प्रकरण के निराकरण तक स्थगित किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–13 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन रास्ता खुलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जो पृथक नेचर का था तथा अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत बंदोबस्त त्रुटि के संबंध में तहसील न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन में अवगत कराया गया है, जबकि संहिता की धारा 89 के प्रकरण का नेचर अलग होता है। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत रास्ता खुलवाये जाने के आवेदन पर कोई विचार न करते हुये संहिता की धारा 89 के तारतम्य में प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रकरण स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि दोनों प्रकरण अलग अलग नेचर के हैं, जिनका निराकरण अलग अलग होना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–13 निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय को आवेदक के मूल आवेदन पर गुणदोषों पर निर्णय पारित करने हेतु एवं रास्ता खुलवाये जाने हेतु आदेश दिये जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत् है क्योंकि विवादित भूमि के प्रकरण में बंदोबस्त में हुई त्रुटि के संबंध में निराकरण पश्चात् ही रास्ते संबंधी

विवाद का निर्णय किया जा सकता है। अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है । इसलिये आवेदक की निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151, सहपठित धारा 32 एवं 43 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत बन्दोबस्त त्रुटि सुधार का प्रकरण प्रचलित है अतः उक्त प्रकरण के निराकरण तक तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को स्थगित किया जाये । तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और दिनांक 28–3–13 को अंतरिम आदेश ही पारित किया जा चुका है। संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रचलित प्रकरण के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की गई है, जो वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत बंदोबस्त की त्रुटि सुधार संबंधी प्रकरण दर्ज किया जाकर निराकृत किया जाता है और संहिता की धारा 131 के अंतर्गत रास्ते का प्रकरण दर्ज कर निराकरण किया जाता है । संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण से इस प्रकरण का कोई संबंध परिलक्षित नहीं होता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को अंतिम आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अंतिम आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर